

9/17/15



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
Govt. of India

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
Ministry of Labour & Employment

खान सुरक्षा महानिदेशालय  
Directorate-General of Mines Safety



SPEED POST



TEL: 0326-2221000  
FAX: 0326-2221027

संख्या DGMS/ Circular/2006-Gen/ 1177 - 1187 /धनबाद, दिनांक 11/05/2017

प्रेषक :

खान सुरक्षा महानिदेशालय,  
धनबाद।

सेवा में

खान सुरक्षा उपमहानिदेशक,  
मुख्यालय/मध्य जोन/ विद्युत (मुख्यालय)/यांत्रिक (मु.)/पूर्वी जोन/  
दक्षिण-पूर्वी जोन/ पश्चिमी जोन/ दक्षिण मध्य जोन/ उत्तरी जोन/  
~~उत्तर-पश्चिमी जोन/ दक्षिणी जोन।~~

खान सुरक्षा महानिदेशालय,  
Directorate-General of Mines Safety  
प्र.सं. 2466 दि.सं. 17/5/17  
उत्तर-पश्चिमी अंचल, उदायपुर  
North-Western Zone, Udaipur

**विषय: DGMS Circular for Circulation.**

महोदय,

आपके क्षेत्राधिकार/ अधिकारिता के तहत पड़ने वाले सभी क्षेत्रीय खान सुरक्षा निदेशक, उप-क्षेत्रीय खान सुरक्षा उप-निदेशक को परिपत्र के अनुसार खदान के मालिक/ अभिकर्ता / प्रबंधकों को उनकी खदान में परिचालन हेतु परिपत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे आग्रह है कि यथानुसार अपने स्तर से इसे परिचालित करने का कष्ट करें।

1. DGMS/Circular/-(Legislative) No. 01 of 2017.

भ व दी य,

संलग्नक: यथोक्त

सौ. रमेश कुमार  
11/5/17  
खान सुरक्षा निदेशक (एम.एस.ई.)  
कृते खान सुरक्षा महानिदेशक

203412/दिनांक/दिनांक/PS/ 17/5/17  
17/5/17



भारत सरकार  
Government of India  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
Ministry of Labour & Employment  
खान सुरक्षा महानिदेशालय  
Directorate General of Mines Safety



DGMS Circular (Legislative) No. 01

/Dhanbad, dated 27<sup>th</sup>, April, 2017

To

**All Owners / Agents/ Managers of Mines**

**Subject: Amendment in the Mines Rules, 1955 vis-à-vis promulgation of "Ease of compliance to maintain registers under various Labour Laws Rules, 2017."**

1.0 Government of India has taken several initiatives including legislative and procedural reforms to reduce the complexity of compliance of labour laws and make them user friendly. While reviewing the requirement of maintaining various Registers/Forms provided under various labour laws, it was observed that under 9 (nine) Central Acts, including the Mines Act 1952, governing employment of labour in mines, factories and establishments required 56 different Registers/Forms to be maintained. These Registers/Forms had multiplicity in entries which were overlapping in nature. Many of the fields in some Forms and Registers were, as on date, redundant too.

An exercise was undertaken in the Ministry of Labour and Employment, Government of India, to do away with maintenance of multiple Forms and Registers and bring about commonality in the data/fields of such Registers/Forms, and reduce the number of Registers & Forms required to be maintained under various Central Acts, so as to promote ease of compliance of various labour laws and also reduce the cost of maintenance of such Registers/Forms.

In this regard, the Ministry of Labour and Employment, Govt. of India has notified "**Ease of compliance to maintain registers under various Labour Laws Rules, 2017**" on 21<sup>st</sup> February, 2017 which has in effect replaced 56 Registers/Forms by 5 Registers/Forms that shall now be required to be maintained under the new Rules.

These Rules are available on the website of the Ministry of Labour and Employment at the Link <http://labour.gov.in/whatsnew/ease-compliance-maintain-registers-under-various-labour-laws-rules-2017>.

2.0 After coming into force of these new Rules, only five Registers/Forms are required to be maintained under the Mines Rules, 1955. The salient points of amendments made in the Mines Rules, 1955, are briefly given hereunder:

- (i) The registers required to be maintained in Form B, Form C, Form D, Form E, Form F, Form G, Form H and Form I have been omitted.

- (ii) The Registers/Forms now required to be maintained (in lieu of the above-mentioned Registers/Forms) under the Mines Rules, 1955, shall now be maintained in the Forms specified in the schedule to the "Ease of compliance to maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2017" which is summarized below:

Sl. No.	Forms earlier required to be maintained under Mines Rules, 1955	Corresponding new Forms under the "Ease of compliance to maintain registers for various Labour Laws Rules, 2017"
1	Form B	Form A
2	Form C, D & E	Form D
3	Form F	Form E
4	Form G & H	Form E
5	Form I	Form B

The Registers/Forms can be maintained either in electronic form or otherwise and shall be provided to the concerned Inspector when required.

If any Register is maintained in electronic form, then, layout and presentation of such register may be adjusted without changing the integrity, serial number and contents of the columns of the register, but not otherwise.

In this regard your attention is drawn to sub-rule (2) & (3) of Rule-2.

All concerned are requested to take necessary action to comply with the provisions of "Ease of compliance to maintain registers under various Labour Laws Rules, 2017".

  
Director General of Mines Safety



भारत सरकार  
Government of India  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
Ministry of Labour & Employment  
खान सुरक्षा महानिदेशालय  
Directorate-General of Mines Safety



संदर्भ. डी.जी.एम.एस.(विधि) सं. 01

धनबाद, दिनांक 21<sup>st</sup> April/2017

सेवा में,

सभी खानों के मालिक/ सभी खानों के अभिकर्ता/ सभी खानों के प्रबंधक।

**विषय:-** "विविध श्रम कानून नियम, 2017 के अधीन पंजिकाओं का रख-रखाव करने का अनुपालन की सुविधा" का प्रख्यापन के तुलना में खान अधिनियम 1955 में संशोधन।

1.0 भारत सरकार ने अनेक पहल की है जिसमें श्रम कानूनों के अनुपालन की जटिलता में कमी लाने हेतु वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक सुधार करना एवं श्रम कानूनों को अधिक सहज बनाना शामिल है। विविध श्रम कानूनों के तहत विविध पंजीकाओं/ प्रपत्रों का रख-रखाव करने की आवश्यकता की समीक्षा करने के दौरान यह पाया गया कि नौ (9) केन्द्रीय अधिनियमों, जिसमें खान अधिनियम, 1952 भी शामिल है, तथा जिनके द्वारा खानों, कारखानों तथा स्थापनाओं में श्रम नियोजन को प्रशासित किया जाता है, के लिए भी 56 विविध पंजिकाओं/ प्रपत्रों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था। इन पंजिकाओं/ प्रपत्रों की प्रविष्टियों में विविधताएँ होने के कारण एक दूसरे पर व्यापित प्रकृति के थे। कुछ प्रपत्रों/ पंजिकाओं के अधिकांश भाग अद्यतन तिथि में निरर्थक थे।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विविध प्रपत्रों एवं पंजिकाओं के रख-रखाव में सुधार कर डाटा/ प्रपत्रों एवं पंजिकाओं के क्षेत्रों में एकरूपता बनाये रखने तथा विविध केन्द्रीय अधिनियम के तहत श्रम कानूनों के अनुपालन को सरल एवं पंजिकाओं/ प्रपत्रों के रख-रखाव के लागत को कम करने के लिए प्रयास किया गया है।

इस संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 21.02.2017 को "विविध श्रम कानूनों 2017 के तहत पंजिकाओं का रख-रखाव करने हेतु अनुपालन में सहूलियत" को अधिसूचित किया है, जिसमें प्रभावत 5 पंजिकाओं प्रपत्रों द्वारा 56 पंजिकाओं/ प्रपत्रों द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने की जरूरत है।

ये नियमों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बेवसाइट लिंक [http:// labour. Gov.in/whatsnew/ease-Compliance-maintain-registers-under-various-labour-laws-rules-2017](http://labour.gov.in/whatsnew/ease-Compliance-maintain-registers-under-various-labour-laws-rules-2017) पर उपलब्ध है।

2.0 इन नये नियमों का प्रभाव में आने के उपरान्त केवल पाँच पंजिकाये/ प्रपत्र को ही खान नियम, 1955 के तहत रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता है। खान नियम 1955 में किये गये संशोधनों की मुख्य बिंदुएं संक्षिप्त रूप से नीचे दिये गये हैं:-

- (i) प्रपत्र B, C, D, E, F, G, H तथा I में रख-रखाव किये जाने वाले पंजिकाओं को हटा दिया गया है।
- (ii) खान नियम, 1955 के तहत रख-रखाव किये जाने वाले पंजिकाओं/ प्रपत्रों (उपरोक्त वार्षिक पंजिकाओं/प्रपत्रों के एवम में) को अब विविध श्रम कानून नियम, 2017 के तहत पंजिकाओं का रख-रखाव में अनुपालन का सुविधा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में रख-रखाव किया जायेगा जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-


क्रमांक	खान नियम 1955 के तहत रख-रखाव किये जानेवाले पूर्व के प्रपत्र	विविध श्रम कानून नियम, 2017 के तहत पंजिकाओं का रख-रखाव में अनुपालन की सुविधा
1	प्रपत्र B	प्रपत्र A
2	प्रपत्र C, D, तथा E	प्रपत्र D
3	प्रपत्र F	प्रपत्र E
4	प्रपत्र G तथा H	प्रपत्र E
5	प्रपत्र I	प्रपत्र B

पंजिकाओं/ प्रपत्रों का रख-रखाव इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र या अन्य तरीके से किया जा सकता है, तथा यथापेक्षित संबंधित निरीक्षक को सौंपा जायेगा।

यदि किसी पंजिका का रख-रखाव इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में किया जा रहा है तो ऐसे पंजिका का विन्यास तथा प्रस्तुती करण को उसकी अखंडता क्रम पंजिका के कॉलम में दिये गये विवरण को बिना बदले समायोजित किया जा सकता है, किन्तु अन्य तरीके से नहीं।

इस संबंध में आपका ध्यान नियम-2 के उपनियम (2) एवं (3) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि वे "विविध श्रम कानून नियम 2017 के तहत पंजिकाओं का रख-रखाव का अनुपालन में सुविधा" के प्रावधानों का अनुपालन करने संबंधित आवश्यक कार्रवाई करें।

  
 22/04/17  
 खान सुरक्षा महानिदेशक